न्यायालय श्री मेघराज सिंह मीना, R.A.S अतिरिक्त कलक्टर (द्वितीय), कालवाड।

राजस्व रेफरेन्स संख्या : 145/2024 (जीसीएमएस संख्या – 2024/77)

सरकार जरिये तहसीलदार, जयपुर हाल कालवाड।

प्रार्थी,

बनाम

1. सुखदेव पुत्र श्री भूरा, जाति–खाती, निवासी–पचार, तहसील–कालवाड। (मृतक)
   1/1 श्रवण पुत्र स्व0 श्री सुखदेव, जाति–खाति, निवासी–पचार, तहसील–कालवाड।
   1/2 लल्लू पुत्र स्व0 श्री सुखदेव, जाति–खाति, निवासी–पचार, तहसील–कालवाड।
   1/3 ओमप्रकाश पुत्र स्व0 श्री सुखदेव, जाति–खाति, निवासी–पचार, तहसील–कालवाड।
   1/4 राजू पुत्र स्व0 श्री सुखदेव, जाति–खाति, निवासी–पचार, तहसील–कालवाड।
   1/5 रमेश पुत्र स्व0 श्री सुखदेव, जाति–खाति, निवासी–पचार, तहसील–कालवाड।
   1/6 मन्नीदेवी पत्नी स्व0 श्री सुखदेव, जाति–खाति, निवासी–पचार, तहसील–कालवाड।
   1/7 मोहनी पत्नी श्री कैलाश पुत्री स्व0 श्री सुखदेव, जाति–खाति, निवासी–ग्राम कपूरावाला, तहसील–सांगानेर, जिला–कालवाड।
2. रामेश्वर पुत्र स्व0 श्री जगन्नाथ, जाति–खाती, निवासी–पचार, तहसील–कालवाड।
3. ओमप्रकाश पुत्र स्व0 श्री जगन्नाथ, जाति–खाती, निवासी–पचार, तहसील–कालवाड।
4. प्रभाती पुत्री स्व0 श्री जगन्नाथ, जाति–खाती, निवासी–पचार, तहसील–कालवाड।
5. बिदामी पुत्री स्व0 श्री जगन्नाथ, जाति–खाती, निवासी–पचार, तहसील–कालवाड।
6. दाखा पत्नी स्व0 श्री जगन्नाथ, जाति–खाती, निवासी–पचार, तहसील–कालवाड।

अप्रार्थीगण,

(राजस्व रेफरेन्स अन्तर्गत धारा 82 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 सपठित धारा 232 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955)

उपस्थिति :–

1. पेरोकार सरकार।
2. अप्रार्थीगण बावजूद तामील असालतन/वकालतन अनुपस्थित। अतः इनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की गई। ।

निर्णय **दिनांक : 30.04.2026**

तहसीलदार, जयपुर हाल कालवाड द्वारा यह निवेदन किया गया हैं कि ग्राम–पचार की आराजी खसरा नं0 676 रकबा 1 बीघा 7 बिस्वा, आराजी खसरा नं0 677 रकबा 12 बिस्वा कुल किता 2 रकबा 1 बीघा 19 बिस्वा खतौनी बन्दोबस्त (जमाबंदी) सम्वत् 2015–2034 के कॉलम संख्या 4 नाम उपभोक्ता, पिता का नाम,

न्यायालय अति. कलक्टर (द्वितीय) जयपुर

जाति व निवास स्थान में माफी मंदिर श्री जगन्नाथ जी वाके विराजमान जगन्नाथ श्री माफीदार रघुनाथ दास मुकटदास पि0 नित्यानन्द ब्राहाम्ण साकिन पुरूषोत्तमपुरी (जगन्नाथ जी) व कॉलम संख्या 5 नाम कृषक, पिता का नाम, जाति व निवास स्थान, श्रेणी कृषक व कृषिकाल में भूरा जगन्नाथपि0 गणेश कौम खाती साकिन देह दर्ज है। सम्वत् 2022–2025 की जमाबन्दी में माफी मंदिर का नाम बिना वैध आदेश के विलोपित होकर भू–प्रबन्ध खतौनी के कालम संख्या 5 में अंकित काश्तकार भूरा जगन्नाथ पि0 गणेश के नाम कर दी गई। नामा0 संख्या 594 दिनांक 04.01.1983 से भूरा की मृत्यु पर वारिसान सुखदेव नाराणी हि0 1/2 स्वीकार किया गया। नामा0 संख्या 1005 दिनांक 29.07.1998 से नाराणी के फौती का नामान्तरकरण स्वीकार किया गया। नामा0सं0 830 से जगन्नाथ की मृत्यु पर उसके वारिसान रामेश्वर वगैराह के नाम नामान्तरकरण स्वीकार किया गया। जिसके फलस्वरूप जमाबन्दी सम्वत् 2059–2062 में अप्रार्थीगण का नाम दर्ज है। मंदिर मूर्ति को शाश्वत नाबालिग माना गया है। अतः नाबालिग की आराजी की खातेदारी अन्य को दी गई है जो अवैध होने से काबिले निरस्त है। अतः वादग्रस्त आराजी को वापिस मन्दिर श्री जगन्नाथ जी के नाम दर्ज किये जाने के आदेश फरमाये जावे।

उक्त आशय का रेफरेन्स प्रार्थना–पत्र मय स्थगन प्रार्थना तहसीलदार, जयपुर द्वारा न्यायालय जिला कलक्टर, जयपुर में प्रस्तुत किये जाने पर प्रकरण को दर्ज रजिस्टर किया गया और आज्ञा दिनांक 19.01.2005 द्वारा प्रकरण अधीन आराजी की मौके एवं राजस्व रिकार्ड की यथा स्थिति बनाये रखने एवं जमाबन्दी में भूमि माफी मन्दिर श्री जगन्नाथ जी की होने से रेफरेन्स प्रकरण प्रस्तुत किया गया जो विचाराधीन है इस आशय का नोट अंकित किये जाने के आदेश दिये गऐ। श्रवण क्षेत्राधिकार परिवर्तन होने के परिणामस्वरूप अग्रिम विचारण एवं निस्तारण हेतु प्राप्त होने पर पत्रावली दर्ज रजिस्टर की जाकर नियमानुसार अप्रार्थीगण को नोटिस जारी किया गया। अप्रार्थीगण बावजूद तामील असालतन/वकालतन अनुपस्थित रहे। अतः इनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई।

हमने विद्वान् पेरोकार सराकर की बहस सुनी। विद्वान् पेरोकार सरकार का कथन है कि वादग्रस्त आराजी सम्वत् 2015–2034 में माफी मन्दिर श्री जगन्नाथ जी माफीदार रघुनाथ दास मुकटदास पि0 नित्यानन्द ब्राहाम्ण साकिन पुरूषोत्तमपुरी (जगन्नाथ जी) व कॉलम संख्या 5 नाम कृषक, पिता का नाम, जाति व निवास स्थान, श्रेणी कृषक व कृषिकाल में भूरा जगन्नाथ पि0 गणेश कौम खाती साकिन देह दर्ज है। सम्वत् 2022–2025 की जमाबन्दी में माफी मंदिर का नाम बिना वैध आदेश के विलोपित होकर भू–प्रबन्ध खतौनी के कालम संख्या 5 में अंकित काश्तकार भूरा

जगन्नाथ पि0 गणेश के नाम कर दी गई। नामा0 संख्या 594 दिनांक 04.01.1983 से भूरा की मृत्यु पर वारिसान सुखदेव नाराणी हि0 1/2 स्वीकार किया गया। नामा0 संख्या 1005 दिनांक 29.07.1998 से नाराणी के फौती का नामान्तरकरण स्वीकार किया गया। नामा0सं0 830 से जगन्नाथ की मृत्यु पर उसके वारिसान रामेश्वर वगैराह के नाम नामान्तरकरण स्वीकार किया गया। जिसके फलस्वरूप जमाबन्दी सम्वत् 2059–2062 में अप्रार्थीगण का नाम दर्ज है। वादग्रस्त आराजी की खातेदारी की स्थितिं तय करने के लिए जमाबन्दी एक मुख्य एवं विधिक दस्तावेज हैं। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के प्रावधानों के अन्तर्गत मूर्ति को शाश्वत् नाबालिग माना गया है और नाबालिग मूर्ति के स्वामित्व की आराजी का हस्तान्तरण/विक्रय आदि नियमानुसार वर्जित हैं। नाबालिग मूर्ति की आराजी को पुजारी के अथवा अन्य के नाम बिना किसी वैध अधिकार के नहीं लगाया जा सकता हैं। विधिक दृष्टि में हिन्दू देव मूर्ति एक शाश्वत अवयस्क हैं। माफी के पुनर्ग्रहण पर खातेदारी अधिकार पुजारी को प्राप्त नहीं हो सकते, परन्तु विधि के परिवर्तन से देव मूर्ति को स्वतः ही खातेदारी अधिकार उसकी खुदकाश्त भूमि में प्राप्त हो गये हैं। माफी मन्दिर श्री जगन्नाथ जी की खुदकाश्त की विवादग्रस्त आराजी को यदि किसी व्यक्ति द्वारा कब्जा–काश्त भी की गई है तो वह मूर्ति का कब्जा–कृषि कार्य करने वाला व्यक्ति ही माना जायेगा और उसको खातेदारी अधिकार प्राप्त नहीं हो सकते हैं। बिना वैध और बिना सक्षम आदेशों के किया गया हस्तानान्तरण प्रारम्भ से शून्य होने से काबिले निरस्त हैं। मन्दिर/मूर्ति शाश्वत नाबालिग है, शाश्वत नाबालिग के हितो की रक्षा करना सरकार का दायित्व है तथा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 46 के प्रावधानों के अनुसार नाबालिग की भूमि पर किसी भी व्यक्ति को चाहे वह पुजारी हो या अन्य व्यक्ति हो, खातेदारी अधिकार प्राप्त नही हो सकते है क्योंकि मंदिर मूर्ति शाश्वत नाबालिग है। नाबालिग स्वयं काश्त करने में असमर्थ है, अतः उसके द्वारा अन्य व्यक्तियों को आराजी काश्त पर दी जा सकती है और यदि मंदिर मूर्ति की भूमि पर किसी अन्य को खातेदारी अधिकार किसी प्रकार से प्राप्त हो गऐ है तो वह प्रभाव शून्य माने जावेंगे अतः इन्द्राजों को निरस्त कर विवादग्रस्त आराजी वापिस मन्दिर श्री जगन्नाथ जी के नाम दर्ज करने के आदेश फरमाये जावे।

हमने पेरोकार सरकार की बहस पर गौर किया व पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली में उपलब्ध नकल खतौनी बन्दोबस्त (जमाबन्दी) भू–प्रबन्ध (सेटलमेन्ट विभाग) के अवलोकन से जाहिर होता हैं कि विवादग्रस्त आराजी सम्वत् 2015–2034 में मन्दिर श्री जगन्नाथ जी दर्ज हैं और वादग्रस्त आराजी की खातेदारी की स्थिति तय करने के लिए जमाबन्दी एक मुख्य एवं विधिक दस्तावेज हैं। राजस्थान काश्तकारी

न्यायालय अति. कलक्टर (प्रथम) जयपुर

अधिनियम के प्रावधानों के अन्तर्गत मूर्ति को शाश्वत् नाबालिग माना गया है और नाबालिग मूर्ति के स्वामित्व की आराजी का हस्तान्तरण/विक्रय आदि नियमानुसार वर्जित हैं। नाबालिग मूर्ति की आराजी को पुजारी के अथवा अन्य के नाम बिना किसी वैध अधिकार के नहीं लगाया जा सकता हैं। विधिक दृष्टि में एक हिन्दू देव मूर्ति एक शाश्वत अवयस्क हैं। देवमूर्ति की आराजी पर यदि पुजारी अथवा अन्य द्वारा काश्त भी की गई है तो भी खातेदारी अधिकार पुजारी अथवा अन्य को प्राप्त नहीं हो सकते, परन्तु विधि के परिवर्तन से देव मूर्ति को स्वतः ही खातेदारी अधिकार उसकी भूमि में प्राप्त हो जाते हैं। मन्दिर श्री जगन्नाथ जी की विवादग्रस्त आराजी को यदि किसी व्यक्ति द्वारा कब्जा–काश्त भी की गई हैं तो वह मूर्ति का कब्जा–कृषि कार्य करने वाला व्यक्ति ही माना जायेगा और उसको खातेदारी अधिकार प्राप्त नहीं हो सकते हैं। इस प्रकार नियमों के विपरित मन्दिर श्री जगन्नाथ जी की भूमि का इन्द्राज विभिन्न प्रविष्टियों के परिणामस्वरूप जमाबन्दी सम्वत् 2059–2062 में निजी खातेदारी अप्रार्थीगण के नाम बिना किसी सक्षम अधिकारी, किसी वैध आदेश के बिना, अनुचित रूप से बिना कोई नियमों की प्रक्रिया अपनाये किया गया इन्द्राज तथा पश्चात्वर्ती इन्द्राज नामान्तरकरण संख्या 594, 1005, 830 ग्राम पचार वादग्रस्त आराजी की सीमा तक प्रारम्भ से शून्य हैं और शून्य प्रभाव अवैध इन्द्राज का राजस्व अभिलेख में से हटाया जाना नितान्त आवश्यक हैं ऐसी स्थिति में इन इन्द्राजों को निरस्त कर उक्त विवेचनानुसार विवादग्रस्त आराजी वापिस मन्दिर श्री जगन्नाथ जी के नाम लगाये जाने की राय से राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 82 के अन्तर्गत रेफरेन्स स्वीकार किये जाने हेतु माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर को प्रेषित हैं। पक्षकार को दिनांक 15.06.2026 को प्रातः 10.00 बजे माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर उपस्थित होने हेतु पाबन्द किया गया। निर्णय की अतिरिक्त प्रतियों के साथ पत्रावली माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर को भेजी जावे।

निर्णय आज दिनांक 30.04.2026 को सरे इजलास सुनाया गया।

(मेघराज सिंह मीना)
अति. कलक्टर (द्वितीय)
जयपुर

न्यायालय अति. कलक्टर (द्वितीय) जयपुर